

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ-3-1/2015/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/1/2016

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :- विधि एवं विधायी कार्य विभाग के लिये मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

म0प्र0शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2288/2193/ 2012 / नियम/चार दिनांक 20-12-2012 से मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो में विधि एवं विधायी कार्य विभाग को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के स.क. 9 अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधिकरण को पूर्णविनियोजन के प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

Sr. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
1.	Re-appropriation of funds whthin the same grant.	Hon'ble Chief Jusitice in the matter of High Court and Subordinate court	Full Powers	1. No re- appropriation should be made from Voted expenditure to Charged expenditure and vice-versa; Capital Section to Revenue Section and vice-versa; One demand number to another. 2. No re- appropriation may be made, to meet expenditure upon some new services not provided in the budget. 3. No re- appropriation can be made into any head of account with zero budget peovision

Sr. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
				<p>4. No Re- appropriation shall be made from Plan to Non-plan and vice-versa;</p> <p>5. No re- appropriation shall be made from schemes financed from Reserve Funds, Central assistance, Externally Aided Projects, Loans from Financial Institutions to any other scheme.</p> <p>6. No re- appropriation shall be made to detail heads of Purchase of New Vehicies.</p>

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ-3-1 / 2045 / 2015 / नियम / चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 12/1/2016

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर ।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।



(मिलिन्द वाईकर)

अपर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग